संख्या 31011/6/80-स्था0(क)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 24-3-1981

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध छुट्टी यात्रा रियायत-का सरलीकरण ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 11 अक्तूबर, 1956 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/1/55-स्था0(क)-भाग-11 के पैरा (5) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें सांविधिक नियम 2(8) (समय-समय पर यथासंशोधित) में दी गई "परिवार" की परिभाषा को छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए अपना लिया गया है । उसमें दी गई विद्यमान परिभाषा के अनुसार "परिवार" शब्द में सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही पत्नी अथवा पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित वैध बच्चे, सौतेले बच्चे, माता-पिता, बहिनें तथा नाबालिग भाई शामिल हैं । उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि किसी सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित किसी व्यक्ति को छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए तब तक सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि वह उस सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा है । किन्तु, पुत्र/पुत्री को मूल निवास स्थान से जहां वे अध्ययन कर रहे हैं, अपने माता-पिता के साथ अथवा अकेले लौटते समय एक तरफ की यात्रा की रियायत देने के लिए विशेष उपबन्ध बनाए गए हैं । इस उपबन्ध में यह अन्तर्निहित है कि उनके पुत्र/पुत्री मूल निवास स्थान में अध्ययन कर रहे होंगे । इस प्रश्न पर कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी का बच्चा/बच्चे जो मूल निवास स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अध्ययन कर रहे हैं तथा होस्टलों में रह रहे हैं वे भी सरकारी कर्मचारी के सदस्य (सदस्यों) के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होंगे वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है । यह निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से आश्रित वे बच्चे भी सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकते हैं जो उनसे दूर अध्ययन करने के लिए होस्टलों में रह रहे है । ऐसे मामलों में, छुट्टी यात्रा रियायत यदि अन्यथा उपलब्ध हों तो अध्ययन के स्थान से मूल निवास स्थान/भारत में किसी भी स्थान (मूल निवास स्थान के अतिरिक्त) तक तथा अध्ययन के स्थान तक वापसी यात्रा अथवा सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय से मूल निवास स्थान/भारत में किसी भी स्थान (मूल निवास स्थान के अतिरिक्त) तक तथा सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय तक वापसी यात्रा, इनमें जो भी कम हो, अनुज्ञेय होगी किन्तु छुट्टी यात्रा रियायत को शासित करने वाली अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

2/-

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

बी॰ एस॰ निम
(बी॰ एस॰ निम)
उप -सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

प्रति, सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित, निम्नलिखित को अग्रेषित:-

1- भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4- रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
5- लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
6- भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद ।
7- सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
8- वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ई -IV शाखा ।
9- सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे॰सी॰एम॰), अशोक रोड, नई दिल्ली ।
10- कार्मिक और प्रशासनिक विभाग तथा गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
11- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

बी॰ एस॰ निम
(बी॰एस॰ निम)
उप सचिव, भारत सरकार